Email

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि./स्था.प्र./2001 पार्ट– ।। जयपुर, दिनांक 30.07.2018

आदेश

"दी राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976" के भाग–V के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक से प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 19.10.2012 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंषा के अनुसार श्री मिठ्ठन लाल चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित होने के कारण इनकी पदोन्नति की अभिशंषा सिलबन्द लिफाफे में रखी गई थी।

श्री मिठ्ठन लाल चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक का दिनांक 26.08.2015 को निधन होने के कारण इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के तहत विचाराधीन जाँच को विभागीय आदेश कमांक प. 25 (2)खा.वि./जांच/2010 दिनांक 26.10.2015 द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक की अनुशंषा के अनुसरण में मिठ्ठन लाल चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक को वर्ष 2009–10 के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर रिक्ति दिनांक 01.04.2009 से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

मिठ्ठन लाल चौधरी की वरिष्ठता विभागीय आदेश दिनांक 06.11.2012 के क्रम में क्रम संख्या–16 पर अंकित श्री सुरेन्द्र कुमार महला एवं क्रम संख्या–17 पर अंकित श्री विनय कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी के बीच में निर्धारित की जाती है।

इनका वेतन निर्धारण कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(3)डी.ओ.पी. /ए–2/77 दिनांक 18.08.1982 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

Sd/-

(मातादीन शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि./स्था.प्र./2001 पार्ट– ।। जयपुर, दिनांक 30.07.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं पदेन् खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
6 जिला कलक्टर, अजमेर/जिला रसद अधिकारी, अजमेर (राज0)।
7 संबंधित प्रवर्तन अधिकारी स्व. श्री मिठ्ठन लाल चौधरी द्वारा जिला रसद अधिकारी, अजमेर (राज0)।
8 प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9 निजी पत्रावली संबंधित प्रवर्तन अधिकारी।
10 रक्षित पत्रावली।

Sd/-

सहायक आयुक्त (खाद्य)

E:\Hariram Jat 2018\DPC\ Orders, 2018\1